ईमेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014–3 दिनांक:लखनऊ:सितम्बर 26, 2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल गिरफ्तारी प्रपत्र IIF-3 के कुल 1,37,349 अपराध की सूची के कुल 2,12,613 अभियुक्तों की फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ कम्प्यूटर में एकत्रित फोटो को साफ्टवेयर पैच के माध्यम से अपलोड किये जाने विषयक।

सन्दर्भः–समांक पत्र दिनांक 24.05.2018, 22.05.2018, 10.07.2018, 16.08.2018, 20.08.2018, 7.9.2018, 8.9.2018, 11.09.2018

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर **(CAS)** 4.5 वर्जन के माध्यम से पुलिस के समस्त प्रपत्र के साथ ही प्रपत्र (IIF-3) में गिरफ्तारी दर्ज किया जा रहा है जिससे सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपराधियों से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध हो सकें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि गिरफ्तारी प्रपत्र **(IIF-3)** पूर्व में भरा गया हो किन्तु फोटो किन्हीं कारणवश अपलोड नहीं किया जा सका है ऐसे मामलों के कुल 1,37,349 अपराध संख्याओं की सूची, मुकदमों के दिनांक सहित आपको दिनांक 08.9.2018 को मेल के माध्यम से प्रेषित मुकदमों में कुल 2,12,613 अभियुक्तों की फोटो साइज 200 KB से कम एवं साफ एवं स्पष्ट खींचा हुआ **कम्प्यूटर में एकत्रित फोटो को साफ्टवेयर पैच के माध्यम से अपलोड किये जाने के कार्य को इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांकित 11.09.2018 द्वारा अग्रिम आदेशों तक तात्कालिक प्रभाव में रोक दिया गया था, जिसमें पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही**

प्रारम्भ की जाय। इस साफ्टवेयर पैच वर्तमान में आ रही कमियों को पूर्ण कर लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/कम्प्यूटर आपरेटर को एनआईआईटी द्वारा दिनांक 24.09.2018 द्वारा मेल के माध्यम से भी एकत्रित फोटो को साफ्टवेयर पैच के माध्यम से अपलोड प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

3. उपरोक्त के सन्दर्भ में अनुरोध है कि **समस्त जोन कोऑर्डिनेटर, परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर, जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड--ए) व समस्त सक्षम अधिकारियों के साथ एक अभियान चलाकर 15 दिवस में यह कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें। गिरफ्तारी प्रपत्र (IIF-3) भरने पर अभियुक्त का फोटो अपलोड करना साफ्टवेयर में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना (IIF-3) फॉर्म सबमिट नहीं होगा।**

समन्वयक अधिकारी–

1. श्री प्रमोद कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ सीयूजीनं0–7839858232 मो0नं0–9598550393
2. सुश्री तरू माथुर, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ सीयूजीनं0–9454405237 मो0नं0–8090243971

26/9

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–

1. श्री प्रमोद कुमार/ सुश्री तरू माथुर प्रोग्रामर ग्रेड–2 को इस आशय से प्रेषित हैं कि उपरोक्त पर अपने स्तर से भी सतत् अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।